

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर मध्यप्रदेश के न्यायालय में।

मिस० 1008-II/09

प्रकरण क्रमांक 1595/एक-06

बाबूलाल सोमानी पिता घनश्यामदास सोमानी,  
निवासी-ग्राम बरदरी, तहसील-महू,  
जिला-इन्दौर (म0प्र0)।

— आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा  
कलेक्टर, जिला-इन्दौर ।

— अनावेदक

1- श्रीमती रेनु पंत  
अपर कलेक्टर,  
जिला-इन्दौर ।  
निवासी-रेडियो कॉलोनी, इन्दौर ।  
वर्तमान कलेक्टर जिला हरदा ।

श्रीमती रेनु पंत कलेक्टर  
द्वारा प्राप्त दि० 30-7-09

2- मनोज चौरसिया  
तहसीलदार,  
तहसील-अम्बेडकर नगर (महू)  
जिला-इन्दौर ।  
निवासी-204, महादेव तोतला नगर,  
बंगाली चौराहा, इन्दौर ।

— अवमानना कर्ता

आवेदन पत्र अंतर्गत कंटेम्प्ट आफ कोर्ट्स एक्ट, 1971।

यह कि, इस प्रकरण में आवेदक की ओर से निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है :-

1- यह कि, प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक के स्वामित्व की भूमि ग्राम बरदरी, तहसील महू, जिला इन्दौर में सर्वे नं0 74/3, 75/2 एवं 76/2 की भूमि का व्यपवर्तन प्रकरण क्रमांक 17/अ-2/94-95 में आदेश दिनांक 03.07.1995 के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस भूमि के संबंध में परिवर्तित भू-राजस्व वर्ष 2004-05 की राजस्व वसूली हेतु तहसीलदार महू द्वारा प्रकरण क्रमांक 2 अ /16/04-05 के माध्यम से वसूली प्रक्रिया जारी की गई। इस वसूली प्रक्रिया से असन्तुष्ट होकर आवेदक द्वारा एक निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-इन्दौर के

OM

—2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक मिसलेनियस 1008-दो/2009

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-8-2015	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता श्री एच0के0अग्रवाल उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाकर नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया । निवेदन स्वीकार । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है ।</p> <p>om</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>